MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 15.07.2026

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *01* वाहन को सीज कर *466* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *54* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति "- मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त - श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। पुलिस द्वारा धारा 29 जी BNSS के तहत *08* व 34 पुलिस एक्ट में *56* व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

5. जन संवाद- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6. थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही– अभियुक्त पारस पुत्र दुलारे निवासी सेमरहनी थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के पास से कुल 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं- 171/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही– अभियुक्त सुग्रीम पुत्र सुभाग निवासी खुरमपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज उम्र करीब 46 वर्ष के पास से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं- 172/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लालमन पुत्र टीमल निवासी बचगंगपुर टोला जरिबन्धपुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के पास से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दिनेश निषाद पुत्र मोतीलाल निवासी पुरन्दरपुर टोला परगापुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के पास से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त झुन्ना पुत्र रामबली निवासी बढया फार्म रामनगर थाना निचलौल जनपद महराजगंज के पास से 15 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा 60(63) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त प्रेमलाल पुत्र सोमई निवाली करमहिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज उम्र करीब 59 वर्ष के पास से 15 ट्रेटा पैक देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता चद्रावती देवी पत्नी रामकेवल निवासी मारवाड़ी मोहल्ला थाना निचलौल जनपद महराजगंज के पास से 20 अदद अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2026 धारा 60(63) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त महेश भारती पुत्र स्व0 नन्दलाल निवासी औराटार थाना निचलौल जनपद महराजगंज के पास से 17 अदद ट्रेटा पैक बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- **1.** राजेन्द्र पुत्र अजीत निवासी कोइली खाल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 2. आमोद राठौर पुत्र स्व0 राजाराम राठौर निवासी म0नं0-645ए/1091सरस्वती पुरम थाना जानकीपुरम सीतारापुर रोड़ कमिश्नरेट जनपद लखनऊ 3. कुल्दीप प्रकाश पुत्र विजय प्रकाश निवासी 215 नरेन्द्रनगर उन्नाव थाना कोतवाली जनपद उन्नाव, एवं वर्तमान पता म0नं0-6/36 दीन दयालपुरम तकरोही थाना इन्द्रानगर जनपद लखनऊ 4.अराधना कुमारी पत्नी कुलदीप प्रकाश निवासी 215 नरेन्द्रनगर उन्नाव थाना कोतवाली जिला उन्नाव एवं वर्तमान पता म0नं0-6/36 दीन दयालपुरम तकरोही थाना इन्द्रानगर जनपद लखनऊ 5.मुकेश चौधरी पुत्र खुशीहाल चौधरी निवासी औराटार पतजड़ीअहवा थाना निचलौल जनपद महराजगंज द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ के लिए लोगों को नौकरी लगवाने

के नाम पर झांसा देकर रुपये लेना तथा फर्जी परीक्षा लेना व कूटरचित फर्जी ट्रेनिंग करवाना तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली ज्वाइनिंग लेटर को असली के रुप में देने के अपराध में अभियुक्तो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/2026 धारा 2(ख)(1),3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

7. विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 20 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

8. जनपद में 14/15-07-2026 को विभिन्न अपराधों में कुल- 63 (शान्ति भंग) एवं आबकारी व अन्य मामलों सहित संबंधित समस्त अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।